संख्या- 02/2019/197/84-1-2019-83/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निबन्धक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक- 18 मार्च,2019

विषयः निबन्धक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को विभिन्न मदों में आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 6592/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./ब.आ.2/18-19 दिनांक-13 फरवरी,2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निबन्धक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को चालू वित्तीय वर्ष2018-19 में अनुदान संख्या- 21 के लेखाशीर्षक-3456 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में हो रही बचतों से 03 मँहगाई भत्ता,04 यात्रा व्यय,05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय, 06अन्य भत्ता, 16 व्यवसायिक सेवा एवं 49 चिकित्सा व्यय हेतु बी0एम0-9 में संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय रू0 417.00 लाख(चार करोड सत्रह लाख मात्र) को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शतों के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. निबंधक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
2. बचत की धनराशि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है , उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी ।
5. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या बी-1-334/10-2019 दिनांक 15 मार्च.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 02/2019/197(1)/84-1-2019-83/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निबन्धक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0 प्र0,लखनऊ(द्वारा निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग)।
8. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7 ।
9. खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।